

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 704/2023

Guljari Lal Soni S/o Late Shri Jugal Kishore Soni,

----Appellant

Versus

Smt. Kamala W/o Shri Gyanchand Sharma

----Respondent

Connected With

S.B. Civil First Appeal No. 703/2023

Guljari Lal Soni S/o Late Shri Jugal Kishore Soni,

----Appellant

Versus

Smt. Kamala W/o Shri Gyanchand Sharma,

----Respondent

S.B. Civil First Appeal No. 728/2023

Smt. Kamala W/o Shri Gyan Chand Sharma,

----Appellant

Versus

Guljari Lal Soni S/o Late Shri Jugal Kishore Soni,

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. G.P. Sharma

For Respondent(s) : Mr. Tarun Kumar Verma

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

04/05/2026

S.B. Civil Misc. Application I.A. No. 1/2025:-

प्रार्थना पत्र संख्या 1/2025 अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि वे विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, क्रम संख्या-3, कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा सिविल प्रकरण संख्या 09/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.07.2023 की पालना में अंडरप्रोटेस्ट राशि प्राप्त करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने उक्त राशि की

वृद्धि हेतु याचिका प्रस्तुत कर रखी है, यदि याचिका स्वीकार होती है तो प्रत्यर्थी 'एरियर' को प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

उक्त आधार पर प्रार्थना पत्र निस्तारित कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक उक्त तथ्य से सहमत हैं।

तदनु रूप उक्त प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

S.B. Civil Misc. Application I.A. No. 2/2025:-

प्रार्थना पत्र संख्या 2/2025 अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी/प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि वे विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, क्रम संख्या-3, कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2023 की पालना में समस्त राशि वादी के बैंक खाते में जमा कराने के लिए तैयार हैं। उक्त राशि में वृद्धि हेतु अपील प्रस्तुत होना बताया गया है। उक्त अपील में उक्त राशि में यदि अभिवृद्धि होती है तो तदनु रूप वादी अभिवृद्धि हुई राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर बैंक गारंटी दिए जाने का कोई न्यायसंगत उचित आधार होना नहीं पाया जाता है।

तदनु रूप इस आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र निर्णित किया जाता है।

उक्त सभी याचिकाएं चार सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध की जाएं, तब तक पूर्व में पारित अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, तो वह प्रभावी रहेगा।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J